बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25 / 2021–पार्ट–I– 1700

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

जिला अभियंता,
जिला परिषद्, बांका।

पटना, दिनांक : 14/07/26

विषय : सिंचाई प्रमंडल, बांका अंतर्गत ओढ़नी डैम पर कार्यरत ओ०पी० थाना एवं आम पर्यटकों की सुविधा के लिए डैम के दक्षिण छोर पर सार्वजनिक शौचालय भवन के निर्माण एवं इसमें आठ अदद Toilet, दो अदद Bathroom, आठ अदद Urinal के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 174 दिनांक 19.02.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्त्तों के साथ सिंचाई प्रमंडल, बांका अंतर्गत ओढ़नी डैम पर कार्यरत ओ०पी० थाना एवं आम पर्यटकों की सुविधा के लिए डैम के दक्षिण छोर पर सार्वजनिक शौचालय भवन के निर्माण एवं इसमें आठ अदद Toilet, दो अदद Bathroom, आठ अदद Urinal के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. निर्माण कार्य (स्थायी / अस्थायी) के कारण आस–पास निर्मित किसी भी संरचना से कोई छेड़छाड़ / क्षतिग्रस्त नहीं किया जाएगा।
2. प्रस्तावित स्थल पर विभागीय स्वामित्व बना रहेगा। यदि जल संसाधन विभाग को किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि की आवश्यकता होगी तो उक्त स्थल को वापस लेने का अधिकार विभाग को होगा।
3. प्रस्तावित सर्वजनिक शौचालय भवन के निर्माण के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निदेशानुसार कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रस्तावित सर्वजनिक शौचालय भवन निर्माण संबंधी रूपांकण एवं आलेख्य कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बांका को समर्पित करना होगा एवं उनकी सहमति के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
5. प्रस्तावित सर्वजनिक शौचालय भवन के निर्माण कार्य के दौरान संभावित दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी। निर्माण कार्य के दरम्यान कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होने की परिस्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।
6. प्रस्तावित सर्वजनिक शौचालय भवन के निर्माण के उपरांत विभागीय भूमि पर से अवशिष्ट पदार्थ (Waste material) हटाने / गंदगी होने पर इसकी साफ–सफाई की पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।

7. प्रस्तावित सर्वजनिक शौचालय भवन के निर्माण के दरम्यान जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यहित में दिया गया निदेश मानना होगा।
8. प्रस्तावित कार्य के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen Work), जो जल संसाधन विभाग के कार्यहित में हो, उसे कार्यकारी विभाग को कराना होगा।
9. प्रस्तावित सर्वजनिक शौचालय भवन के निर्माण कार्य की विशिष्टि एवं गुणवत्ता की जवाबदेही कार्यकारी विभाग की होगी।
10. भविष्य में सर्वजनिक शौचालय भवन का विस्तारीकरण एवं अन्य कार्य जल संसाधन विभाग की सहमति से किया जा सकेगा।
11. उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

13/7/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25/2021–पार्ट–I– 1700 पटना, दिनांक : 14/07/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25/2021–पार्ट–I– 1700 पटना, दिनांक : 14/07/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय